भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1682
उत्तर देने की तारीख - 04 मई, 2016

फाइबर ग्रिड परियोजना

1682. श्री नारामल्ली शिवप्रसाद :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से फाइबर ग्रिड परियोजना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और (ख): सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य के साथ सहयोगी मॉडल के आधार पर आंध्र प्रदेश फाइबर ग्रिड की स्थापना करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें परियोजना के शुरू से अंत तक का डिजायन करने और कार्यान्वयन करने में राज्य का पूर्ण स्वामित्व होगा और इसके लिए आंशिक वित्त पोषण राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)/भारतनेट परियोजना के अंतर्गत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से प्राप्त किया जाएगा तथा शेष अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था करने का वचन लिया जाएगा। इस परियोजना की परिकल्पना राज्य द्वारा आरंभ की गई विभिन्न ई-पहल तथा 12 मिलियन परिवारों को वहनीय कीमत पर 10-15 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य के संदर्भ में की गई है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जून 2015 में इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केन्द्र सरकार से 3,590 करोड़ रू. के पूंजीगत व्यय की मांग को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की थी।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की जांच की जा रही है। तथापि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

*****